संख्या-40/2026/I/1275430/2026/001-71-2099-205-2023

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 500 बेडेड ट्रॉमा सेन्टर के विस्तार एवं पेशेन्ट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स के निर्माण की प्रायोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-10852/योजना अनु0/2026 दिनांक 24.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 500 बेडेड ट्रॉमा सेन्टर के विस्तार एवं पेशेन्ट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स के निर्माण की प्रायोजना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में 500 बेडेड ट्रॉमा सेन्टर के विस्तार एवं पेशेन्ट यूटिलिटी कॉम्पलेक्स के निर्माण की प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 रू0 8054.00 लाख (रुपये अस्सी करोड़ चौवन लाख मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 6363.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 1691.00 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन के क्रम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी / बाधा रहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत "Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

3. प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है। अतः वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रायोजना का निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर कराया जाना है। अतः प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 457.91 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्युत सयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी। उक्त अनुमन्य धनराशि एवं वास्तविक धनराशि में कोई अन्तर आता है तो वास्तविक धनराशि ही अनुमन्य धनराशि मानी जायेगी एवं प्रायोजना के पुनः व्यय वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
5. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं/डिजाइन एवं ड्राइंग को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कन्सल्टेन्ट, कार्यदायी संस्था / प्रशासनिक विभाग का होगा।
7. के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
9. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
10. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 63,63,00,000 (रुपये तिरसठ करोड़ तिरसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 के लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 16,91,00,000 (रुपये सोलह करोड़ इक्यानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 के लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-40/2026/I/1275430/2026/001-71-2099-205-2023 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. मुख्य अभियन्ता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in